



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्राङ्क : सा. 4230/2025

दिनाङ्क : 21.08.2025

कार्यालय-ज्ञाप

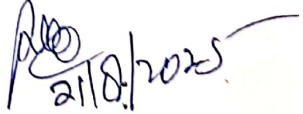
शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष आमंत्रित अतिथि अध्यापकों/व्याख्याताओं को व्याख्यान के लिए दिनांक 22 अगस्त, 2025 से कुलपति महोदय के आदेशानुसार पूर्व में विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व अथवा सत्रान्त/31 मई 2026 तक जो पहले हो, के लिए उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन अधोलिखित संकाय अन्तर्गत के विभागों/विषयों में आमंत्रित किया जाता है -

क्र. सं.	संकाय	विषय	संवर्ग	अतिथि अध्यापक हेतु आमंत्रित विद्वान
1	वेद वेदांग संकाय	सिद्धान्त ज्योतिष	अ.पि.वर्ग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित	श्री मधुसूदन तिवारी
2		ज्योतिष	अनारक्षित	श्री संदीप शर्मा
3		ज्योतिष	अनारक्षित	श्री रविकान्त तिवारी
4		ज्योतिष (खगोलशास्त्र एस्ट्रोनामी)	अनारक्षित	श्री गोपाल पाठक कारखेड़कर
5		प्राचीन व्याकरण	अनु.जाति अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित	श्री श्रवण दास श्रीवैष्णव
6		नव्य व्याकरण	अ.पि.वर्ग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित	श्री रवि प्रकाश पाण्डेय
7		धर्मशास्त्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. जगदम्बिका प्रसाद गिरि
8		वेद	अनारक्षित	डॉ. अनन्तेश्वर कुमार मिश्र
9		वेद	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. किरन
10	साहित्य संस्कृति संकाय	पुराणेतिहास	अनारक्षित	डॉ. अर्पिता मिश्रा
11		पुराणेतिहास	अनारक्षित	डॉ. उमापति उपाध्याय
12		पुराणेतिहास	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	श्री शिवेन्द्र भदौलिया
13		प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	अनारक्षित	डॉ. अखिलेश कुमार
14		प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र	अनारक्षित	डॉ. आराधना देवी
15		साहित्य	अनारक्षित	डॉ. बालेश्वर झा
16		साहित्य	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	श्री अनुज कुमार मिश्र
17		साहित्य (संगीत-सितार)	अनारक्षित	डॉ. शैल पाण्डेय
18		साहित्य (संगीत-गायन)	अनारक्षित	डॉ. श्रुति शाश्वत उपाध्याय
19		साहित्य (संगीत-तबला)	अनुसूचित जाति	श्री प्रशान्त कुमार
20	दर्शन संकाय	रामानुज वेदान्त	अनु.जाति अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित	डॉ. अनन्त कुमार पाण्डेय
21		सांख्ययोग तन्त्रागम (शैवागम)	अनारक्षित	डॉ. विवेक कुमार उपाध्याय
22		आगम	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित	डॉ. चन्द्रशेखर सिंह
23		योगतंत्र	अनारक्षित	डॉ. अम्बति लक्ष्मण राव शास्त्री
24		न्याय वैशेषिक	अनुसूचित जाति	डॉ. रमेश चन्द्र
25		तुलनात्मक धर्म दर्शन	अनारक्षित	डॉ. दिग्विजय मिश्र
26		दर्शन	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. प्रियंका देवी
27	श्रमण विद्या संकाय	जैन दर्शन	अनुसूचित जाति	डॉ. श्रवण कुमार
28		पालि	अनारक्षित	डॉ. मुकेश मेहता
29		पालि एवं थेरवाद	अनुसूचित जाति	डॉ. सूर्यभान कुमार
30		बौद्ध दर्शन	अनारक्षित	डॉ. लेखमणि त्रिपाठी
31		संस्कृत विद्या	अनारक्षित	डॉ. बालेश्वर झा
32		संस्कृत विद्या	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री अरुण कुमार
33		प्राकृत एवं जैनगम	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्रीमती नीतू यादव

34	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	शिक्षाशास्त्र	अनारक्षित	डॉ. प्रियंवदा दीक्षित
35		शिक्षाशास्त्र	अनुसूचित जाति	डॉ. गोपाल प्रसाद
36		शिक्षाशास्त्र	अनुसूचित जाति	डॉ. रात्यप्रकाश सोनकर
37		शिक्षाशास्त्र	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	डॉ. मनु मिश्र
38		विज्ञान	अनु.जाति अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित	डॉ. शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी
39		ग्रन्थालय विज्ञान	अनारक्षित	श्री निधीश त्रिपाठी
40		प्राचीन इतिहास	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	डॉ. अमित कुमार दूबे
41		प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व	अनुसूचित जाति	डॉ. चन्द्रभान
42		भाषा विज्ञान	अनुसूचित जाति	डॉ. सोहन कुमार
43		भाषा विज्ञान (ग्रीक/लैटिन)	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री मोहम्मद सालिम
44		रूसी	अनु.जाति अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित	डॉ. धर्मप्रकाश मिश्र
45		नेपाली	अनारक्षित	डॉ. रामजीवन राई
46		हिन्दी	अनारक्षित	डॉ. सुमिता
47		तिब्बती	अनारक्षित	सुश्री पासाड डोलकर गुरुड
48		फ्रेंच	अनारक्षित	डॉ. स्रग्धरा शर्मा
49		जर्मन	अनारक्षित	श्री मुकुन्द लाल
50		अंग्रेजी	अनारक्षित	डॉ. अवधेश कुमार चौहान
51		कम्प्यूटर	अनुसूचित जाति	श्री सुनील कुमार पासवान

- चयनित अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण, शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्नक में किसी भी प्रकार के त्रुटि/प्रस्तुत प्रपत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियुक्ति भी समाप्त कर दिया जायेगा।
- अतिथि अध्यापक को संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सौंपे गये शिक्षण/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, जो समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगा।
- अतिथि अध्यापक स्थायी/वरिष्ठता, आवास आवंटन, अवकाश आदि के हकदार नहीं होंगे तथा इसका दावा भी नहीं करेंगे, जो विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापकों को देय है।
- अतिथि अध्यापक की सेवा को विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षणिक सत्र 2025-26 के समाप्ति से पहले भी (इस आमंत्रण को) समाप्त कर सकता है।
- अतिथि अध्यापक को व्याख्यान हेतु सत्र 2025-26 के लिये प्रति माह रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र से अधिक पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।
- अतिथि अध्यापक की सेवा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्य होगी, जिसे नियंत्रण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2026-27 के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अतिथि अध्यापक आमंत्रित को उपरोक्त शर्त स्वीकार है, तो संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अपनी सहमति की सूचना इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर शर्तों के अधीन उक्त आशय का शपथ-पत्र संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- अतिथि अध्यापक के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।


(राकेश कुमार)
आई.ए.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष।
- परीक्षा नियंत्रक
- समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी।
- सम्बन्धित अतिथि व्याख्याता।
- आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
- अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
- सम्बद्ध पत्रावली।


(राकेश कुमार)
आई.ए.एस.
कुलसचिव